Publication	Dainik Jagaran
Language/Frequency	Hindi/Daily
Page No.	01
Date	14th September 2017

दैनिक जागरण

सीबीएसई के स्कूलों को कराना होगा सुरक्षा ऑडिट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई सात वर्षीय प्रद्युम्न की हत्या के बाद सीबीएसई ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह स्थानीय पुलिस से तत्काल अपने स्कूल परिसर का सुरक्षा ऑडिट कराएं और सुरक्षा संबंधी सुझावों पर शीघ्रता से अमल करें।

सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल परिसर में मौजूद बच्चों की सुरक्षा का दायित्व स्कूल प्रशासन का ही है। शारीरिक व मानसिक शोषण मुक्त माहौल में शिक्षा ग्रहण करना बच्चों का मौलिक अधिकार है। इस बाबत सभी संबद्ध स्कूलों को मंगलवार को कुल 11 दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में जारी दिशा-निर्देश व सीबीएसई द्वारा समय-समय पर स्कूलों को भेजे गए दिशा-निर्देश शामिल हैं। सीबीएसई ने स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इन सभी दिशा-निर्देशों के पालन में कोताही बरतने पर मान्यता रद किया जा सकता है।

अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली

राज्य ब्यूरो, मुंबई : बांबे हाई कोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टियों अगस्टाइन एफ. पिंटो, उनकी पत्नी ग्रेसी पिंटो और बेटे रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक टाल दी है। कोर्ट ने तीनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी बृहस्पतिवार तक बढ़ा दी। ट्रस्टियों ने प्रद्युम्न की हत्या के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। बुधवार को प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने हाई कोर्ट में याचिका का विरोध किया। ट्रस्टियों के वकील ने कहा कि उन्हें प्रद्युम्न के पिता की याचिका की प्रति नहीं मिली है। इस पर ठाकुर के वकील ने बताया कि उन्होंने याचिकाकर्ताओं के वकील को याचिका की प्रति देनी चाही थी, लेकिन उन्होंने ली ही नहीं।

स्कूलों को दिए गए दिशा-निर्देश

- जनता, स्टाफ, अभिभावक, व छात्रों की शिकायत निवारण के लिए स्कूल में अलग-अलग कमेटी बने
- यौन उत्पीड़न संबंधी अंतरिम कमेटी पॉक्सो एक्ट के अधीन बनाई जाए और इसके सदस्यों की जानकारी फोन नंबर समेत स्कूल नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर डाली जाए
- स्कूल के पूरे परिसर को कवर करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए
- स्कूल में काम करने वाले कर्मियों की पुलिस वेरिफिकेशन की जाए
- अधिकृत एजेंसियों से ही सहायक कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित हो
- बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर अभिभावक, शिक्षक व छात्र समिति गठित की जाए। समय-समय पर अभिभावकों से फीडबैक लिया जाए।
- स्कूल परिसर में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को नियंत्रित करते हुए उन पर कड़ी नजर रखी जाए

संबंधित खबरें
>> पेज 7

Publication	Punjab Kesari
Language/Frequency	Hindi/Daily
Page No.	02
Date	14th September 2017

पंजाब केसरी

स्कूलों में नहीं मेंटेन किया जा रहा सम्पदा रजिस्टर

सम्पदा रजिस्टर में दर्ज करनी होती है सभी जानकारी

गुड़गांव, 13 सितम्बर (ब्यूरो): शिक्षा विभाग की हरियाणा स्कूल परियोजना परिषद ने एक साल पहले प्रदेश के सरकारी स्कूलों की सम्पदा का ब्यौरा रखने के लिए रजिस्टर मेंटेन करने के आदेश जारी किये थे। ताकि स्कूलों की बर्बाद हो रही संपत्ति के रखरखाव के लिए उचित कदम उठाया जा सके। रजिस्टर में स्कूल के शैक्षणिक सत्र से लेकर सत्र के समाप्त होने तक जो भी सम्पदा उपलब्ध है, उसे दर्ज करना

होगा। जिसमें साल दर साल सम्पदा में किसी तरह की वृद्धि हुई है, जोकि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई या फिर किसी व्यक्ति द्वारा चंदा के तौर पर जुटाई गई संपदा का भी उल्लेख करना होगा। लेकिन गुड़गांव जिला के काफी स्कूलों में सम्पदा रजिस्टर को मेंटेन रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

वहीं कई स्कूलों में तो सम्पदा रजिस्टर ही नहीं लगाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) निदेशालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सम्पदा रजिस्टर मेंटेन करने के आदेश दिए थे। आदेशों के अनुसार विभाग के जेई व एसडीई इस रजिस्टर को तैयार किया गया था।

पंचायती राज डी-प्लान के तहत जुटाई गई सम्पदाओं के उल्लेख के साथ-साथ स्कूल को दान में दी गई सम्पदा भी इस रजिस्टर में मेंटेन करनी है। विभाग की ओर से इसके लिए अलग से प्रोफार्मा भी भेजा गया, जिसमें स्कूल सम्पदा की पूरी जानकारी भरनी होती है। ताकि सम्पदा का एक बार ब्यौरा देने के बाद कोई भी हेराफेरी नहीं की जा सके। स्कूलों द्वारा सम्पदा रजिस्टर में उपलब्ध कराई जानकारी को जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना संयोजक आदि अधिकारी जांच कर सकते हैं, कि किस माह स्कूल में क्या फर्नीचर टूटा या नए फर्नीचर को खरीदा, कमरे बनाने या मरम्मत की स्थिति सहित स्कूल सम्पदा संबंधित जानकारी ले सकते हैं। जिला परियोजना अधिकारी मुकेश यादव ने बताया कि एक साल पहले ही सम्पदा रजिस्टर मेंटेन करने के निर्देश दिये गए थे।